

X OK 7

(1)

**EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA: PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)**

Appearing on Page Nos. 1647—1663

Dated 10-11-2012

**श्रम एवं रोजगार मंत्रालय**

(रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय)

**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**

(DIRECTORATE GENERAL OF EMPLOYMENT AND TRAINING)

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2012

सा.का.नि. 271.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तत्कालीन श्रम मंत्रालय, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, (समूह 'ग' और समूह 'घ') भर्ती नियम, 2004 को उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, श्रम और रोजगार मंत्रालय, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन प्रशिक्षण निदेशालय (सिवाय महिला उपजीविका प्रशिक्षण काडर) के विभागीय कैटीनों में समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति की विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, श्रम और रोजगार मंत्रालय, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, विभागीय कैटीन (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नियम उच्च प्रशिक्षण संस्थान, मुंबई, उच्च प्रशिक्षण संस्थान, लुधियाना, उच्च प्रशिक्षण संस्थान, कोलकाता और उच्च प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर की विभागीय कैटीन पर लागू होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

(2)

## अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सहायक प्रबन्धक	*01 (2012) उच्च प्रशिक्षण संस्थान, हावड़ा *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200- 20200/- रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन	21 वर्ष से 28 वर्ष, के बीच केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन- जातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए आयु सीमा शिथिल की जा सकती है।  आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से ओवदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख, जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं			परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)		(9)		
(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.काम.  या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विधाशाखा में स्नातक के साथ बुक कीपिंग या भंडारण में एक वर्ष का डिप्लोमा।	लागू नहीं होता		सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति के लिए दो वर्ष।		

(7)

(ख) किसी सरकारी विभाग या सरकारी उपक्रम में भंडार या लेखा का तीन वर्ष का अनुभव ।

**टिप्पण :** 1. अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं ।

**टिप्पण :** 2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(10)

(11)

प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

**प्रोन्नति :**

- (i) ऐसे लिपिक जिनकी वेतन बैंड-1, 5,200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन 1,900 रु. में कम से कम आठ वर्ष की नियमित सेवा है ।
- (ii) ऐसे हलवाई जिनकी वेतन बैंड-1, 5,200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन 2,000 रु. में पांच वर्ष की नियमित सेवा है तथा भंडार व लेखा हैंडलिंग का दो वर्ष का अनुभव और सीधे भर्ती किए गए लिपिक के लिए यथा विहित शैक्षिक अर्हताएं अर्थात् इण्टरमीडिएट वाणिज्य के साथ हो ।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :-

(क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं;

या

(ii) जिनकी वेतन बैंड-1, 5,200-20,200 रु.; + ग्रेड वेतन 1,900 रु. में कम से कम आठ वर्ष की नियमित सेवा है; और

(iii) जिनके पास स्तंभ 7 में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं; और

(ख) भंडार और लेखा हैंडलिंग का तीन वर्ष का अनुभव है ।

**टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कॉडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति

की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 2 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्त व्यक्ति सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति के लिए स्तंभ 7 में विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखेगा। जहां सीधी भर्ती की पद्धति नहीं है और पद केवल प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति से भरा जाना है, प्रतिनियुक्त व्यक्ति के लिए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव भर्ती नियम में विनिर्दिष्ट रूप से सम्मिलित होंगे।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि और प्रोन्नति के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :

लागू नहीं होता।

1. यूनिट का ज्येष्ठतम निदेशक - अध्यक्ष
2. रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के किसी कार्यालय से एक समूह 'क' अधिकारी जिसका संबंध स्थापन मामलों से है - सदस्य
3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय से एक समूह 'क' अधिकारी जिसका संबंध स्थापन मामलों से है - सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. हलवाई	02* (2012) उच्च प्रशिक्षण संस्थान, लुधियाना-1 उच्च प्रशिक्षण संस्थान, हावड़ा-1 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसूचितवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2,000 रु.	चयन	आयु 18 और 25 वर्ष के बीच, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए आयु सीमा शिथिल की जा सकती है।  <b>टिप्पण :</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम

(6)

तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने को कहा गया है।

(7)

(8)

(9)

(क) दसवी कक्षा उत्तीर्ण और साथ में खानपान में प्रमाण-पत्र या डिप्लोमा आदि

नहीं

सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति के लिए दो वर्ष।

(ख) अनुभव : एक वर्ष

(ग) अभ्यर्थी की उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए खाना बनाना जिसमें स्वच्छता का रख-रखाव आदि है, के लिए व्यवसाय कुशलता परीक्षण विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा संचालित किया जाएगा।

**टिप्पण :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(10)

(11)

प्रोन्नति, द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

**प्रोन्नति :**

- (i) ऐसे कैंटीन परिचर जिनकी वेतन बैंड-1, 5200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु. + 1900 रु. में कम से कम तीन वर्ष की अर्हक सेवा है।
- (ii) विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा संचालित एक व्यवसाय कुशलता परीक्षण खाना बनाना जिसमें स्वच्छता का रख-रखाव आदि है के संदर्भ में होगा।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी-

(क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं;

या

- (ii) ऐसे कैंटीन परिचर जो वेतन बैंड-1, 5200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु. में तीन वर्ष की नियमित सेवा, एक वर्ष हलवाई के हैल्पर का अनुभव के साथ हो;

- (iii) जिनके पास खान-पान प्रबंध में प्रमाण-पत्र या डिप्लोमा है।

**टिप्पणी 2 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्त व्यक्ति सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति के लिए स्तंभ 7 में विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखेगा। जहां सीधी भर्ती की पद्धति नहीं है और पद केवल प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति से भरा जाना है, प्रतिनियुक्त व्यक्ति के लिए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव भर्ती नियम में विनिर्दिष्ट रूप से सम्मिलित होंगे।)

-(13)

लागू नहीं होता ।

1. यूनिट का ज्येष्ठतम निदेशक-अध्यक्ष
2. रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के किसी कार्यालय से एक समूह 'क' अधिकारी जिसका संबंध स्थापन मामले से संबंधित है-सदस्य
3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय से एक समूह 'क' अधिकारी जिसका संबंध स्थापन मामले से है-सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. लिपिक	06* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। यूनिट-वार विवरण संस्था पद संख्या उच्च 1 + 1 = 2 प्रशिक्षण संस्थान, मुंबई उच्च 1 = 1	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसूचित	वेतन बैंड-1, 5,200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन 1,900 रु.	अचयन	आयु 18 और 25 वर्ष के बीच, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए आयु सीमा शिथिल की जा सकती है।

(2)

(6)

प्रशिक्षण  
संस्थान,  
लुधियाना  
उच्च  $1 + 1 = 2$   
प्रशिक्षण  
संस्थान, हावड़ा  
उच्च  $1 = 1$   
प्रशिक्षण  
संस्थान, कानपुर

**टिप्पण :** आयु-सीमा अव-  
धारित करने के लिए निर्णायक  
तारीख भारत में अभ्यर्थियों से  
आवेदन प्राप्त करने के लिए  
नियत की गई अंतिम तारीख  
होगी। (न कि वह अंतिम  
तारीख जो असम, मेघालय,  
अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम,  
मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा,  
सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य  
के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश  
के लाहौल और स्पीति जिले  
तथा चम्बा-जिले के पांगी  
उपखंड, अंडमान और निकोबार  
द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों  
के लिए विहित की गई है।  
आयु सीमा अवधारित करने  
के लिए निर्णायक तारीख वह  
अंतिम तारीख होगी जिस तक  
रोजगार कार्यालयों से नाम  
भेजने के लिए कहा गया है।

(7)

(8)

(9)

(क) वाणिज्य के साथ कक्षा 12 उत्तीर्ण या  
समतुल्य।

आयु-नहीं  
शैक्षिक अर्हताएं : कक्षा 12 उत्तीर्ण या समतुल्य

सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति के लिए  
दो वर्ष।

(ख) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति  
मिनट और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट  
के (प्रत्येक शब्दों के लिए 5 की डिप्रेशन  
के औसत पर 10500 प्रति घंटा/9000 की  
डिप्रेशन के अनुरूप 35 शब्द प्रति मिनट  
और 30 शब्द प्रति मिनट)।

प्रोन्नति व्यक्ति के लिए कुछ नहीं।

**टिप्पण :** 1. अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों  
की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल  
की जा सकती है।

**टिप्पण :** 2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम  
प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जाति या  
अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब  
शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम  
पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए  
आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव  
रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त  
संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(10)

(11)

50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।  
50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।

प्रोन्नति : ऐसे कैटीन परिचर जिसने वेतन बैंड-1, 5,200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन 1,800 रु. में कम-से-कम तीन वर्ष की सेवा की है ।

आईएसटीएम या किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्था से संगठन व्यवहार, संपर्क कौशल और लेखा व्यवहार दो सप्ताह का प्रशिक्षण लिपिक पद पर प्रोन्नति के लिए आवश्यक है ।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी-

(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं;  
या

(ii) ऐसे कैटीन परिचर जो वेतन बैंड-1, 5,200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन 1,800 रु. में तीन वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं और स्तंभ 7 में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के विहित अर्हताएं रखते हैं ।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

(प्रतिनियुक्ति व्यक्ति सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति के लिए स्तंभ 7 में विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखेगा । जहां सीधी भर्ती की पद्धति नहीं है और पद केवल प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाना है, प्रतिनियुक्त व्यक्ति के लिए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव भर्ती नियम में विनिर्दिष्ट रूप से सम्मिलित होंगे ।)

(12)

(13)

पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति के जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :

1. यूनिट का ज्येष्ठतम निदेशक-अध्यक्ष
2. यूनिट में रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के कार्यालय से कोई ऐसा, कोई समूह 'क' अधिकारी जिसका संबंध स्थापन मामले से हो-सदस्य
3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय का ऐसा समूह 'क' अधिकारी जिसका संबंध स्थापन मामलों से है-सदस्य

लागू नहीं होता ।



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. कैटीन परिचर	16* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। यूनिटवार विवरण संस्था पद संख्या उच्च 1+3+1=5 प्रशिक्षण संस्थान, मुंबई उच्च 1+1+1=3 प्रशिक्षण संस्थान, लुधियाना उच्च 1+2=3 प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर उच्च 1+3+1=5 प्रशिक्षण संस्थान, हावड़ा	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए आयु सीमा शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने को कहा गया है।

(7)	(8)	(9)
मैट्रिकुलेशन या समतुल्य।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।

(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता।

(12)	(13)
पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :	लागू नहीं होता।
1. यूनिट का ज्येष्ठतम निदेशक-अध्यक्ष	
2. यूनिट में रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के कार्यालय से कोई ऐसा कोई समूह 'क' अधिकारी जिसका संबंध स्थापन मामले से हो-सदस्य	
3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय का ऐसा समूह 'क' अधिकारी जिसका संबंध स्थापन मामलों से है-सदस्य	

[फा. सं. डीजीईटी-ए-12018/04/2011-टीए-II]  
एन. श्रीकुमार, अवर सचिव

4298 Lab & Emph/12-3

## NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 2012

**G.S.R. 271.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the erstwhile Ministry of Labour, Directorate General of Employment and Training (Group 'C' and Group 'D') Recruitment Rules, 2004, except as respects things done or omitted to be done before such suppressions, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' posts in the Department Canteens in the Training Directorate (except Women Occupation Training cadre) under the Directorate General of Employment and Training, Ministry of Labour and Employment, namely :—

**1. Short title and Commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Labour and Employment, Directorate General of Employment and Training, Departmental Canteens (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) These rules shall be applicable to the Departmental Canteen of Advance Training Institute, Mumbai; Advance Training Institute, Ludhiana; Advance Training Institute, Kolkata and Advance Training Institute, Kanpur.

**2. Number of posts, Classification and Scale of Pay.**—The number of the posts, their classification and scale of pay attached thereto, shall be as specified in column 2 to 4 of the Schedules annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters concerned thereto shall be as specified in column 5 to 13 of the said Schedule.

**4. Disqualification.**—

(a) no person who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

shall be eligible for appointment to any to the said posts :

Provided that the Central Govt. may, if satisfied that, such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

**5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules, with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this respect.

## SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Assistant Manager	*01 (2012) Advanced Training Institute, Howrah *Subject to variation dependent on work-load	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	PB-1, Rs. 5,200-20,200 + Grade Pay Rs. 2,400	Non-selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	
(6)	(7)	
<p>21—28 years, relaxable of age limit to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, Ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.</p> <p>The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Mizoram, Manipur, Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State Lahaul and Spiti Districts and Pangu Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>	<p>(a) B. Com from recognised University.</p> <p>Or</p> <p>Graduate in any discipline from a recognised university with one year Diploma in Book Keeping or Store Keeping.</p> <p>(b) <b>Experience.</b>—Three Years in a Government Department or Government Undertaking in handling Stores or Accounts.</p> <p><b>Note 1.</b>—Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidate otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2.</b>—The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	
Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentage of vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years for Direct Recruits	Promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment
In case of recruitment by promotion/deputation, grades from which promotion/deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<p><b>Promotion :</b></p> <p>(i) Clerks with at least eight years regular service in the PB-1, Rs. 5200—20,200 + Grade Pay Rs. 1900</p> <p>(ii) Halwai with five years regular service in the PB-1, Rs. 5200—20,200 + Grade pay Rs. 2000 with two years experience in handling Stores or Accounts and possessing education qualification as prescribed for direct recruited Clerk, i.e. Intermediate with Commerce.</p>	<p><b>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation and promotion) consisting of :—</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Senior most Director in the Unit — Chairman</li> <li>2. A Group 'A' Officer from any office of the Directorate General of Employment and Training in the unit dealing with establishment matters. — Member</li> <li>3. A Group 'A' Officer of another Central Government Office dealing with establishment matters — Member</li> </ol>	Not applicable

(11)

**Deputation :**

Officers of the Central Government :

(a) (i) Holding analogous posts on regular basis; or

(ii) With at least eight years regular service in the PB-1, Rs. 5200-20,200 + Grade Pay of Rs. 1900 and

(iii) Possessing educational qualification as prescribed for Direct Recruit under Column 7; and

(b) Three years experience in handling Stores or Accounts.

**Note 1.**—The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for deputation is 56 years as on the closing date of receipt of applications.

**Note 2.**—The departmental official in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(The deputationists should possess the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7. Where direct recruitment is not a method of recruitment and the post is to be filled by promotion or deputation only, the educational qualifications and experience should be specifically incorporated for deputationists in the recruitment rules).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2 Halwai	02* (2012) Advance Training Institute, Ludhiana-1 Advance Training Institute, Howrah-1 *Subject to variation depending on work- load.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non- Ministerial	PB-1, Rs. 5,200- 20,200 + Grade Pay Rs. 2,000/-	Selection

(13)

(6)	(7)
<p>18—25 years, relaxable of age limit to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.</p> <p><b>Note.</b>—The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names.</p>	<p>(a) 10th Class Pass with a certificate or diploma in catering, etc.</p> <p>(b) <b>Experience.</b>—One year.</p> <p>(c) A Trade Skill Test for cooking including maintenance of hygiene, etc. shall be conducted by the Departmental Promotion Committee to assess the suitability of the candidate.</p> <p><b>Note.</b>—The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>

(8)	(9)	(10)
No	Two years for Direct Recruitment	Promotion failing which by deputation

(11)	(12)	(13)
<p><b>Promotion :</b></p> <p>Canteen Attendant in the Pay Band-1, Rs. 5200-20,200 + Grade Pay of 1800 + 1900 with atleast three years qualifying service.</p> <p>A Trade test shall be got conducted by the Departmental Promotion Committee with reference to the cooking including maintenance of hygiene, etc.</p> <p><b>Deputation :</b></p> <p>Officers of the Central Government :</p> <p>(a) (i) Holding analogous posts on regular basis; or</p> <p>(ii) Canteen Attendant in the Pay Band-1 of Rs. 5200-20,200 + Grade Pay of Rs. 1800 with atleast three years regular service having one year experience as helper to Halwai;</p> <p>(iii) Possessing certificate or diploma in catering.</p> <p><b>Note 1.</b>—The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p>	<p><b>Group 'C' Departmental Promotion Committee to consider confirmation, consisting of :—</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Senior most Director in the Unit — Chairman</li> <li>2. A Group 'A' Officer from any office of the Directorate General of Employment and Training in the Unit dealing with establishment matters. — Member</li> <li>3. A Group 'A' Officer of another Central Government Office — Member</li> </ol>	Not applicable

14

(14)

(11)

The maximum age-limit for deputation is 56 years as on the closing date of receipt of applications.

**Note 2.**—The departmental official in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(The deputationists should possess the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7. Where direct recruitment is not a method of recruitment and the post is to be filled by promotion or deputation only, the educational qualifications and experience should be specifically incorporated for deputationists in the recruitment rules).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Clerk	06* (2012) *Subject to variation depending on work-load. Unit wise break-up Institute      Number of post Advance      1 + 1 = 2 Training Institute, Mumbai Advance      1 = 1 Training Institute, Ludhiana Advance      1 + 1 = 2 Training Institute, Howrah Advance      1 = 1 Training Institute, Kanpur	General Central Services, (Group 'C') Non-Gazetted, Non-Ministerial	PB-1, Rs. 5200-20,200 + Grade Pay Rs. 1900	Non-Selection

(6)	(7)
<p>18—25 years, relaxable of age limit to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.</p> <p><b>Note:</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Mizoram, Manipur, Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>	<p>(a) 12th Class Pass or equivalent with Commerce.</p> <p>(b) A typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on computer (35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 Key Depression Per Hour/9000 Key Depression Per Hour on an average of 5 Key depressions for each word).</p> <p><b>Note 1.</b>—Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidate otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2.</b>—The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possession the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>

(8)	(9)	(10)
Age : No Educational Qualifications— 12th Class Pass or equivalent	Two years for direct recruits, Nil for promotees	50% by promotion failing which by deputation 50% by Direct Recruitment

(11)	(12)	(13)
<p><b>Promotion :</b> Canteen Attendant with atleast three years regular service in the PB-1, Rs. 5200-20,200 + Grade pay Rs. 1800/-</p> <p>A two week training on Organisational Behaviour, Communication Skill and Accounting Practices shall be mandatory for the Canteen Attendants for promotion to the post of Clerk from ISTM or any other recognised Institute.</p> <p><b>Deputation :</b> Officers of the Central Government : (i) Holding analogous posts on regular basis; or (ii) Canteen Attendant with atleast three years regular service in the Pay Band-1, Rs. 5200- 20,200 + Grade pay of Rs. 1800/- and possessing the following qualifications for direct recruits under Column 7.</p> <p><b>Note 1.</b>—The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately</p>	<p><b>Group 'C' Departmental Promotion Committee to consider confirmation, consisting of :—</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Senior most Director in the Unit — Chairman</li> <li>2. A Group 'A' Officer from any office of the Directorate General of Employment and Training in the Unit dealing with establishment matters. — Member</li> <li>3. A Group 'A' Officer of another Central Government Office dealing with establishment matters.— Member</li> </ol>	<p>Not applicable</p>

(11)

preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for deputation is 56 years as on the closing date of receipt of applications.

**Note 2.**—The departmental official in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(The deputationists should possess the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7. Where direct recruitment is not a method of recruitment and the post is to be filled by promotion or deputation only, the educational qualifications and experience should be specifically incorporated for deputationists in the recruitment rules).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Canteen Attendant	16* (2012). *Subject to variation depending on work-load. Unit wise break up Institute      Number of post Advance      1 + 3 + 1 = 5 Training Institute, Mumbai Advance      1 + 1 + 1 = 3 Training Institute, Ludhiana Advance      1 + 2 = 3 Training Institute, Kanpur Advance      1 + 3 + 1 = 5 Training Institute, Howrah	General Central Services, (Group 'C') Non-Gazetted, Non-Ministerial.	PB-1, Rs. 5200-20,200 + Grade Pay Rs. 1800	Not Applicable



(17)

(6)	(7)	
18—25 years, relaxable of age limit to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time. <b>Note :</b> The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names.	Matriculation or equivalent	
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	Direct Recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	<b>Group 'D' Departmental Promotion Committee to consider confirmation, consisting of :—</b>  1. Senior most Director in the Unit — Chairman.  2. A Group 'A' Officer from any office of the Directorate General of Employment and Training in the unit dealing with establishment matters. — Member  3. A Group 'A' Officer of another Central Government Office dealing with establishment matters. — Member	Not applicable

[F.No. DGET-A-12018/04/2011-TA-II]

N. SREEKUMAR, Under Secy.

**EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)**

Appearing on Page Nos. 1301—1311

Dated 21-9-2013

**श्रम और रोजगार मंत्रालय**

**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**

( रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2013

**सा.का.नि. 229.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, समूह 'ग' महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण के सिवाय ड्राइवर कॉडर पर भर्ती नियम, 2004 को, जहां तक उसका संबंध ड्राइवर समूह 'ग' गैर तकनीकी पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, श्रम और रोजगार मंत्रालय के रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय में ड्राइवर के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम श्रम और रोजगार मंत्रालय, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, समूह 'ग' (महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण के सिवाय), ड्राइवर कॉडर, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. लागू होना.**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

**3. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—पद संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**5. निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**6. शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**7. व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. ड्राइवर श्रेणी-I	12* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु.	अचयन	लागू नहीं होता

(2)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

(7)

लागू नहीं होता

(8)

लागू नहीं होता

(9)

लागू नहीं होता

**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(10)

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)

**प्रोन्नति :**

(i) ऐसे ड्राईवर श्रेणी-2 जिन्होंने यथाविनिर्दिष्ट चालन परीक्षण उत्तीर्ण करने के अधीन रहते हुए उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ii) **व्यावसायिक परीक्षण :**

(i) अंग्रेजी के अंकों और अक्षरों को पढ़ने के योग्य हो।

(ii) यातायात विनियमों का ज्ञान हो।

(iii) पेट्रोल और डीजल इंजन के कार्य का अच्छा ज्ञान हो और त्रुटियों का पता लगाने तथा लघु त्रुटियों को सुधारने के योग्य हो।

(iv) कार्बोरेटर, प्लग आदि को साफ करने के योग्य हो।

**प्रतिनियुक्ति :**

केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :—

(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों;

या

(ii) जिन्होंने यथाविनिर्दिष्ट चालन परीक्षण उत्तीर्ण करने के अधीन रहते हुए ड्राईवर श्रेणी-2 का पद धारण करते हुए वेतन बैंड 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. में छह वर्ष नियमित सेवा की है; और

**टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय

लागू नहीं होता।

प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

1. शिक्षता प्रशिक्षण निदेशक —अध्यक्ष
2. उप सचिव, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय —सदस्य
3. निदेशक/उप सचिव (प्रशासन), श्रम और रोजगार मंत्रालय —सदस्य
4. अवर सचिव, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. ड्राईवर श्रेणी-II	11* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)
------	------

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति :

- (i) ऐसे ड्राईवर साधारण श्रेणी जिन्होंने उस श्रेणी में नौ वर्ष नियमित सेवा की हो;
- (ii) यथाविनिर्दिष्ट व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण करते हुए :
  - (i) अंग्रेजी के अंकों और अक्षरों को पढ़ने के योग्य हो।
  - (ii) यातायात विनियमों का ज्ञान हो।
  - (iii) कमियों का पता लगाने और लघु त्रुटियों को सुधारने के योग्य हो।
  - (iv) पहियों को बदलने और टायरों में ठीक-ठीक हवा भरने के योग्य हो।

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :—

- (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों;

या

(4)

(11)

(ii) जिन्होंने ड्राइवर साधारण श्रेणी का पद धारण करते हुए वेतन बैंड-1 : 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. में नौ वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(iii) जिन्होंने व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण किया हो।

**टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)

(13)

पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

लागू नहीं होता।

- |  |          |
|--|----------|
| 1. शिक्षता प्रशिक्षण निदेशक                          | —अध्यक्ष |
| 2. उप सचिव, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय          | —सदस्य   |
| 3. निदेशक/उप सचिव (प्रशासन), श्रम और रोजगार मंत्रालय | —सदस्य   |
| 4. अवर सचिव, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय         | —सदस्य   |

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. ड्राइवर (साधारण श्रेणी)	11* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अंराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1: 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	लागू नहीं होता	21 से 27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।)
<b>टिप्पण 1 :</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।					
<b>टिप्पण 2 :</b> रोजगार कार्यालयों के माध्यम					

(6)

से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(7)

(8)

(9)

आवश्यक :

लागू नहीं होता

दो वर्ष

1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य।
2. हल्के, मध्यम और भारी मोटर यानों के लिए चालन अनुज्ञप्ति हो।
3. मोटर मैकेनिक के कार्य का ज्ञान हो।
4. मोटर कार चलाने का तीन वर्ष का अनुभव हो।
5. चालन और यांत्रिक परीक्षण उत्तीर्ण किया हो।

**टिप्पण :** अनुभव संबंधी अर्हता के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(10)

(11)

सीधी भर्ती यदि अल्पकाल के लिए रिक्ति को भरे जाने के लिए असफल रहने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

लागू नहीं होता

(12)

(13)

पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

लागू नहीं होता।

1. यूनिट में ज्येष्ठतम निदेशक —अध्यक्ष
2. स्थापन के मामले में यूनिट में रोजगार प्रशिक्षण महानिदेशालय के किसी कार्यालय से एक समूह 'क' अधिकारी —सदस्य
3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय से एक समूह 'क' अधिकारी —सदस्य

[सं. डी.जी.ई. एण्ड टी.ए.-12018/01/2011-टीए-II]

एन. श्रीकुमार, अवर सचिव

4013 LRE/13-2

## (Directorate General of Employment and Training)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2013

**G.S.R. 229 .—**In exercise of the powers, conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate General of Employment and Training Group 'C' (except Women Occupational Training) (Driver Cadre posts) Recruitment Rules, 2004, in so far they relate to the posts of Drivers & Group 'C'. Non-Technical Posts in the Ministry of Labour and Employment, Directorate General of Employment and Training except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Drivers, in the Ministry of Labour and Employment, in the Directorate General of Employment and Training, namely:—

**1. Short title and commencement.**—(1) These Rules may be called the Ministry of Labour and Employment, the Directorate General of Employment and Training Group 'C' (except Women Occupational Training) (Driver Cadre) Group 'C' posts Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application.**—These Rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

**4. Method of recruitment, age limit and other qualification etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

**5. Disqualification.**—No persons —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**6. Power to Relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**7. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of the age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Driver Grade-I	12* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay band-1, Rs. 5200–20200 plus grade pay Rs. 2800	Non-selection	Not applicable

(7)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

**Method of recruitment :** Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grade from which promotion/deputation/absorption to be made

(10)	(11)
Promotion failing which by Deputation	<p><b>Promotion :</b> Driver Grade-II with six years of regular service in the grade subject to passing driving test as specified:</p> <p><b>Trade Test :</b> (i) Must be able to read English, Numerical and figures. (ii) Must have thorough knowledge of Traffic Regulation. (iii) Must have good knowledge of Petrol and Diesel Engine working and be able to locate faults and rectify minor running defects. (iv) Must be able to clean carburettor, plug, etc.</p> <p><b>Deputation :</b> From officers under the Central Government. (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) holding the post of Driver Grade-II with six years of regular service in the pay band Rs. 5200-20200 with grade pay Rs. 2400; subject to driving test .</p> <p><b>Note 1 :</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 2 :</b> The maximum age limit for appointment on deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>

If a Departmental Promotion Committee exist, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(12)	(13)
<p><b>Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering promotion, consisting of :—</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Director of Apprenticeship Training —Chairman</li><li>2. Deputy Secretary, Directorate General of Employment and Training —Member</li><li>3. Director/Deputy Secretary (Administration), Ministry of Labour and Employment —Member</li><li>4. Under Secretary, Directorate General of Employment and Training —Member</li></ol>	Not applicable.

4013 L & E/13-3



92

	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Driver Grade-II	11* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, Rs. 5200-20,200 plus grade pay Rs. 2400	Non-selection	Not applicable
	(7)		(8)		(9)
	Not applicable		Not applicable		Not applicable

(10)	(11)
Promotion failing which by deputation	<p><b>Promotion :</b></p> <p>(i) Driver Ordinary Grade with nine years of regular service in the grade,</p> <p>(ii) to passing trade test as specified :-</p> <p>(i) able to read English, Numerical and figures,</p> <p>(ii) knowledge of Traffic Rules</p> <p>(iii) able to locate faults and carry out minor running repairs; and</p> <p>(iv) able to change wheels and correctly inflate tyres.</p> <p><b>Deputation :</b></p> <p>Officers under the Central Government :</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis; or</p> <p>(ii) holding the post of Driver Ordinary Grade with nine years of regular service in the Pay Band Rs. 5200-20200 with grade pay Rs. 1900; and</p> <p>(iii) to pass Trade Test.</p> <p><b>Note 1:</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 2 :</b> The maximum age limit for appointment on deputation shall 'Not exceed 56 years' as on the closing date of receipt of applications.</p>

(12)	(13)
<p><b>Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering promotion, consisting of :—</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Director of Apprenticeship Training</li> <li>2. Deputy Secretary, Directorate General of Employment and Training</li> <li>3. Director/Deputy Secretary (Administration), Ministry of Labour and Employment</li> <li>4. Under Secretary, Directorate General of Employment and Training</li> </ol>	<p>Not applicable.</p> <p>—Chairman</p> <p>—Member</p> <p>—Member</p> <p>—Member</p>

(9)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Driver (Ordinary Grade)	11* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non- Ministerial	Pay Band-1, Rs. 5200- 20200 plus grade pay Rs. 1900	Not- applicable	21 to 27 years, (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.  <b>Note 1:</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidate in India (and not the closing date prescribe for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshdweep).  <b>Note 2 :</b> In respect of post, the appointments to which are made through the Employment Exchanges the crucial date for determining the age limit shall in each case, be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

(7)	(8)	(9)
<b>Essential :</b>	Not applicable	Two years
1. Matriculation or equivalent from a recognised Board or University;		
2. Driving licence of light medium and heavy motor vehicles;		
3. Knowledge of Motor Mechanic;		
4. Three year's experience of driving;		
5. Passing a driving and Mechanical test.		
<b>Note :</b> The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of the selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		

(10)

(10)

Direct recruitment, if failed to fill up vacancy for short-term by deputation.

(11)

Not applicable

(12)

(13)

Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering

Not applicable.

Confirmation, consisting of:—

1. Senior most Director in the Unit
2. A Group 'A' Officer from any office of the Directorate General of Employment and Training in the Unit dealing with Establishment Matters.
3. A Group 'A' Officer from other Central Government Office

—Chairman

—Member

—Member

[No. DGE & TA-12018/01/2011-TA-II]

N. SREEKUMAR, Under Secy.

Dated 26-11-2005

श्रम और रोजगार मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

( रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 2005

सां.का.नि. 405.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रशिक्षण निदेशालय ( महिला वृत्तिक प्रशिक्षण को छोड़कर ), रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय ( समूह ग अतकनीकी पद ) भर्ती नियम, 2002 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया है, श्रम मंत्रालय के अधीन रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय में अवर श्रेणी लिपिक/टाइपिस्ट, उच्च श्रेणी लिपिक/रोकडिया/सहायक छात्रावास अधीक्षक/लेखापाल/आंतरिक लेखापरीक्षक/छात्रावास अधीक्षक/केयरटेकर/क्रय सहायक, कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक, सहायक, गैस्टेटर प्रचालक और भेषज समूह ग अतकनीकी पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ और लगू होना.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रशिक्षण निदेशालय ( महिला वृत्तिक प्रशिक्षण को छोड़कर ), रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय ( समूह ग अतकनीकी पद ) पद भर्ती नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ये नियम निम्नलिखित इकाईयों पर इकाईवार लागू होंगे :—

- (i) चेन्नई इकाई जिसमें उच्च प्रशिक्षण संस्थान चेन्नई, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नई, प्रादेशिक प्रशिक्षु प्रशिक्षण निदेशालय, चेन्नई और माडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कालीकट समाविष्ट हैं।
- (ii) हैदराबाद इकाई जिसमें उच्च प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद, प्रादेशिक प्रशिक्षु प्रशिक्षण निदेशालय, हैदराबाद और इलैक्ट्रानिक और प्रसंस्करण उच्च प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद समाविष्ट हैं।
- (iii) बंगलौर इकाई जिसमें फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर और एपैक्स हाई टेक संस्थान, बंगलौर समाविष्ट हैं।
- (iv) मुंबई इकाई जिसमें उच्च प्रशिक्षण संस्थान, मुंबई और प्रादेशिक प्रशिक्षु प्रशिक्षण निदेशालय, मुम्बई समाविष्ट हैं;
- (v) लुधियाना इकाई जिसमें उच्च प्रशिक्षण संस्थान, लुधियाना, प्रादेशिक प्रशिक्षु प्रशिक्षण निदेशालय, फरीदाबाद और माडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हल्द्वानी समाविष्ट हैं;
- (vi) कानपुर इकाई जिसमें उच्च प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर प्रादेशिक प्रशिक्षु प्रशिक्षण निदेशालय, कानपुर और माडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जोधपुर समाविष्ट हैं;
- (vii) देहरादून इकाई जिसमें इलैक्ट्रानिक और प्रसंस्करण उपकरण के लिए उच्च प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून समाविष्ट है;
- (viii) जमशेदपुर इकाई जिसमें फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान, जमशेदपुर समाविष्ट है; और
- (ix) कोलकाता इकाई जिसमें उच्च प्रशिक्षण संस्थान, केन्द्रीय स्टाफ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता, प्रादेशिक प्रशिक्षु प्रशिक्षण निदेशालय, कोलकाता और माडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चौदवाद ( उड़ीसा ) समाविष्ट हैं;

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन या अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6
1. अवर श्रेणी लिपिक/ टाइपिस्ट	126* (2005) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। इकाईवार विभाजन हैदराबाद-17 लुधियाना-15 मुम्बई-16 कानपुर-17 चेन्नई-23 कोलकाता-28 बंगलौर-06 जमशेदपुर-02 देहरादून-02 कुल - 126	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	3050-75- 3950-80- 4590 रु.	अचयन	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं		परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9	10		
18-27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख चयन आयोग द्वारा अब जाएगी।	1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या इसके समतुल्य अर्हता। 2. टंकण गति अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट।	आयु : नहीं अर्हता : हां	दो वर्ष		

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

11	12
(क) 90 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: 2750-4000 रु. के वेतनमान में ऐसे समूह 'घ' कर्मचारी जिन्होंने उस इकाई में उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो जिसके न होने पर 2610-3540 रु. के वेतनमान में ऐसे समूह 'घ' कर्मचारियों से जिन्होंने उस इकाई में उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की हो और दोनों के न हो सकने पर 2550-3200 रु. वेतनमान में ऐसे समूह 'घ' कर्मचारियों से जिन्होंने उस इकाई में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो।
(ख) 5 प्रतिशत विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर ऐसे समूह 'घ' कर्मचारियों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनके पास मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता हो और जो स्तंभ 12 में यथा उपबंधित अपेक्षा पूरी करते हों। परीक्षा का पात्र होने के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष है (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 50 वर्ष)।	
<b>टिप्पण :</b> (i) किसी विशिष्ट वर्ष से संबंधित खाली रिक्तियां अग्रणीत नहीं की जाएंगी।	
(ii) यदि उक्त परीक्षा में खंड (ख) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों से अधिक कर्मचारी अर्हित होते हैं तो ऐसे आधिक्य कर्मचारियों पर पश्चात्पूर्वी वर्ष में उद्भूत रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा जिससे पूर्वतम परीक्षा में अर्हक कर्मचारियों पर उनसे पहले विचार किया जाएगा जो पश्चात्पूर्वी परीक्षा में अर्हित हुए हैं।	
(ग) 5 प्रतिशत रिक्तियां ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर ऐसे समूह 'घ' कर्मचारियों से भरी जाएंगी जिनके पास मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता हो और जो स्तंभ 12 में यथाविहित अपेक्षाओं को पूरी करते हों।	

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :	लागू नहीं होता।
1. इकाई का ज्येष्ठतम निदेशक	—अध्यक्ष
2. रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के किसी कार्यालय के स्थापना संबंधी मामलों से संबंधित इकाई का एक समूह 'क' अधिकारी	—सदस्य
3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय से एक समूह 'क' अधिकारी	—सदस्य

1	2	3	4	5	6
2. उच्च श्रेणी लिपिक/रोकड़िया/सहायक छात्रावास अधीक्षक (ये पद अंतः	94* (2005) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। इकाईवार विभाजन हैदराबाद-15 लुधियाना-13	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	4000-100-6000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता

1	2				
परिवर्तनीय होंगे)	मुंबई-12 कानपुर-11 चेन्नई-13 कोलकाता-20 बंगलौर-06 जमशेदपुर-01 देहरादून-03 कुल - 94				
7	8	9	10		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		
11	12				
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसे अवर श्रेणी लिपिक/टाइपिस्ट, जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी— (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जो अवर श्रेणी लिपिक का पद धारण किए हुए हैं और जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)।				
13	14				
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:	लागू नहीं होता।				
1. इकाई का ज्येष्ठतम निदेशक	—अध्यक्ष				
2. रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के किसी कार्यालय के स्थापना संबंधी मामलों से संबंधित इकाई का एक समूह 'क' अधिकारी	—सदस्य				
3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय से एक समूह 'क' अधिकारी	—सदस्य				
1	2	3	4	5	6
3. लेखाकार आंतरिक लेखा परीक्षक/ केयरटेकर/ छात्रावास अधीक्षक/	28* (2005) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। इकाईवार विभाजन	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	4500-125-7000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता

1	2
क्रम	लुधियाना-02
सहायक	हैदराबाद-06
(ये सभी	मुंबई-02
पद अंतः	कानपुर-03
परिवर्तनीय	चेन्नई-05
होंगे)	कोलकाता-05
	बंगलौर-03
	देहरादून-02
	कुल - 28

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
11	12		

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

**प्रोन्नति:** ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक/रोकड़िया/सहायक छात्रावास अधीक्षक जिन्होंने ऊपर उल्लिखित किसी एक या अधिक पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की हो;

**प्रतिनियुक्ति:**

केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी—

- जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- जो उच्च श्रेणी लिपिक या समतुल्य पद धारण किए हुए हैं और जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास लेखा/लेखापरीक्षा/केयरटेकर/छात्रावास/क्रम संबंधी पद का अनुभव हो।

**टिप्पण:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:	लागू नहीं होता।
1. इकाई का ज्येष्ठतम निदेशक	—अध्यक्ष
2. रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के किसी कार्यालय के स्थापना संबंधी मामलों से संबंधित इकाई का एक समूह 'क' अधिकारी	—सदस्य
3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय से एक समूह 'क' अधिकारी	—सदस्य

1	2	3	4	5	6
4. सहायक	12* (2005)	साधारण केन्द्रीय	5000-150-	अचयन	लागू नहीं होता
	*कार्यभार के	सेवा समूह 'ग'	8000 रु.		
	आधार पर	अराजपत्रित			
	परिवर्तन किया	अनुसचिवीय			
	जा सकता है।				

3434 L&E/OS-2



2					
इकाईवार विभाजन हैदराबाद-02 लुधियाना-01 मुंबई-03 कानपुर-02 चेन्नई-03 कोलकाता-02 कुल - 12					
7	8	9	10		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		
11		12			
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।		<p>प्रोन्नति: ऐसे लेखाकार/आंतरिक परीक्षक/केयर टेकर/क्रय सहायक/ छात्रावास अधीक्षक जिसने ऊपर उल्लिखित पदों में से किसी एक या अधिक पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति:</p> <p>केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी—</p> <p>(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने 4500-7000 रुपए के वेतनमान वाले लेखाकार या समतुल्य पद पर तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास प्रशासन/ रोकड़ /लेखा संबंधी विषयों का अनुभव हो।</p> <p>टिप्पण : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इस प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)।</p>			
13		14			
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :		लागू नहीं होता।			
1. इकाई का ज्येष्ठतम निदेशक	—अध्यक्ष				
2. रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के किसी कार्यालय के स्थापना संबंधी मामलों से संबंधित इकाई का एक समूह 'क' अधिकारी	—सदस्य				
3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय से एक समूह 'क' अधिकारी	—सदस्य				
1	2	3	4	5	6
5. कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	08* (2005) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	5000-150 8000 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

2

## इकाईवार विभाजन

हैदराबाद - 02

सुधियाना - 02

मुंबई - 01

कानपुर - 01

कोलकाता - 02

कुल - 08

7

8

9

10

21 से 30 वर्ष।

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है।)

**टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

**टिप्पण 2:** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी/अंग्रेजी में मास्टर डिग्री साथ ही डिग्री स्तर पर हिंदी/अंग्रेजी अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो, या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी/अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में मास्टर डिग्री साथ ही डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में या दोनों में से एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरा अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो, या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी और अंग्रेजी के साथ स्नातक उपाधि या दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम और दूसरा अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो साथ ही हिंदी से अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद पाठ्यक्रम का कोई मान्यताप्राप्त डिप्लोमा/प्रमाणपत्र या केन्द्रीय/राज्य सरकार के कार्यालयों में जिसके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी हैं, हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव।

लागू नहीं होता

दो वर्ष

(11)

12

13

14

सीधी भर्ती द्वारा।

लागू नहीं होता

पुष्टि के संबंध में विचार के लिए समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:—

1. इकाई का ज्येष्ठतम निदेशक —अध्यक्ष
2. रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के किसी कार्यालय की स्थापना संबंधी मामलों से संबंधित इकाई का एक समूह "क" अधिकारी —सदस्य
3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय से एक समूह "क" अधिकारी —सदस्य

लागू नहीं होता।

1

2

3

4

5

6

6. गेस्टेटर  
आपरेटर

06\* (2005)  
\*कार्यभार के आधार  
पर परिवर्तन किया  
जा सकता है।

साधारण केन्द्रीय  
सेवा समूह 'ग'  
अराजपत्रित  
अननुसचिवीय

3050-75-3950-80-  
4590 रुपए

अचयन

लागू नहीं होता

2
इकाईवार विभाजन
हैदराबाद - 02
कोलकाता - 01
बंगलौर - 01
देहरादून - 01
मुंबई - 01
कुल - 06

7	8	9	10
18 से 27 वर्ष। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष की जा सकती है।) टिप्पण 1: . आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2: रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या इसके समतुल्य अर्हता। 2. गेस्टेटर/फोटोकॉपी मशीन चलाने का अनुभव।	आयु : नहीं अर्हता : हाँ	दो वर्ष

11	12	13	14
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रति-नियुक्ति द्वारा।	प्रोन्नति : 2750-4000 रु. के वेतनमान में ऐसे समूह 'घ' कर्मचारी, जिन्होंने इकाई में उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो जिसके न हो सकने पर 2610-3540 रु. के वेतनमान में समूह 'घ' के ऐसे कर्मचारी जिन्होंने इकाई में उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की हो और दोनों के न हो सकने पर 2550-3200 रु. के वेतनमान में ऐसे समूह 'घ' कर्मचारियों में से जिन्होंने उस इकाई में उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो।  प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी:— (क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं : या	समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:— 1. इकाई का ज्येष्ठतम निदेशक 2. रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के किसी कार्यालय की स्थापना संबंधी मामलों से संबंधित इकाई का एक समूह "क" अधिकारी  3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय से एक	लागू नहीं होता। —अध्यक्ष —सदस्य —सदस्य

12

13

(ख) (i) जो 2750—4400 रु. के वेतनमान में तीन वर्ष से नियमित आधार पर पद धारण किए हुए हैं या 2610—3540 रु. के वेतनमान में छह वर्ष से नियमित आधार पर पद धारण किए हुए हैं या जो 2550—3200 रुपए या समतुल्य वेतनमान में आठ वर्ष से नियमित आधार पर पद धारण किए हुए हैं, और  
(ii) जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ 8 में अधिकथित शैक्षिक अर्हताएं हैं।  
(प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

समूह "क" अधिकारी

के

1	2	3	4	5	6
7. भेषजज्ञ/कंपाउण्डर	12* (2005) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।  इकाईवार विभाजन हैदराबाद - 02 लुधियाना - 01 मुंबई - 01 कानपुर - 01 चेन्नई - 03 कोलकाता - 03 बैंगलूर - 01  कुल - 12	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय	4500-125-7000 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
21 से 27 वर्ष। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण : 1. आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और	1. मैट्रिकुलेशन या समतुल्य; 2. बी. फार्मा या रसायन विज्ञान विषय के साथ बी एस सी अथवा अर्हता प्राप्त और रजिस्ट्री-कृत कंपाउण्डर (भेषजज्ञ) 3. किसी मेडिकल स्टोर/औषधालय/अस्पताल में दो वर्ष का भेषजी में अनुभव।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

3434 L &amp; E 05-3

7			
निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)			
टिप्पण : 2. रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।			
11	12	13	14
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:	लागू नहीं होता।
		1. इकाई का ज्येष्ठतम निदेशक —अध्यक्ष 2. रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के किसी कार्यालय के स्थापना संबंधी मामलों से संबंधित इकाई का एक समूह "क" अधिकारी —सदस्य 3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय से एक समूह "क" अधिकारी —सदस्य	

[फा. सं. डीजीईटी-ए-12018/2/99-टीए II]

एम.एस. आजाद, अवर सचिव

## (Directorate General of Employment and Training)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 2005

**G.S.R. 405.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, and in supersession of the Directorate of Training (except Women Occupational Training), Directorate General of Employment and Training Group 'C' Non-Technical posts Recruitment Rules, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Lower Division Clerk/Typist, Upper Division Clerk/Cashier/Assistant Hostel Superintendent/Accountant/Internal Auditor/Hostel Superintendent/Care Taker/Purchase Assistant, Junior Hindi Translator, Assistant, Gestetner Operator and Pharmacist (Group 'C' Non-Technical posts) in the Directorate General of Employment and Training under the Ministry of Labour and Employment namely :—

1. (1) **Short Title and Commencement and Application.**— These rules may be called the Directorate of Training (except Women Occupational Training), Directorate General of Employment and Training Group 'C' Non-Technical Posts Recruitment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. These rules shall be applicable on unit-wise in respect of the following units— (i) Chennai Unit comprising Advanced Training Institute, Chennai; Central Training Institute, Chennai; Regional Directorate of Apprenticeship Training, Chennai and Model Industrial Training Institute, Calicut; (ii) Hyderabad Unit comprising Advanced Training Institute, Hyderabad; Regional Directorate of Apprenticeship Training, Hyderabad and Advanced Training Institute for Electronic and Process Instrumentation, Hyderabad; (iii) Bangalore Unit comprising Foreman Training Institute, Bangalore and Apex-Hi-Tech Institute, Bangalore; (iv) Mumbai Unit comprising Advanced Training Institute, Mumbai and Regional Directorate of Apprenticeship Training, Mumbai; (v) Ludhiana Unit comprising Advanced Training Institute, Ludhiana; Regional Directorate of Apprenticeship Training, Faridabad and Model Industrial Training Institute, Haldwani; (vi) Kanpur Unit comprising Advanced Training Institute, Kanpur; Regional Directorate of Apprenticeship Training, Kanpur and Model

Industrial Training Institute, Jodhpur; (vii) Dehradun Unit comprising Advanced Training Institute for Electronics and Process Instrumentation, Dehradun; (viii) Jamshedpur Unit comprising Foremen Training Institute, Jamshedpur; and (ix) Kolkata Unit comprising Advanced Training Institute, Hawrah; Central Staff Training and Research Institute, Kolkata; Regional Directorate of Apprenticeship Training, Kolkata and Model Industrial Training Institute, Chowdwar (Orissa).

2. **Number of Posts, Classification and Scale of Pay.**—The number of post, their classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in their columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of Recruitment, age-limit and other qualifications etc.**—The method of recruitment age limit, qualification and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of posts	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection Post or Non-Selection post
1	2	3	4	5
1. Lower Division Clerk/Typist	126*(2005) *Subject to variation depending on work-load) Unit-wise Break-up Hyderabad -17 Ludhiana -15 Mumbai -16 Kanpur -17 Chennai -23 Kolkata -28 Bangalore -06 Jamshedpur -02 Dehradun -02 Total -126	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Non- selection
Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972		Age limit for direct recruits		Educational and other qualifications required for direct recruits
6		7		8
Not applicable		18 to 27 years (relaxation for Government servants upto 35 years in accordance		1. Matriculation or its equivalent qualification from a recognized Board or University.

7		8
with the instructions issued by the Central Government)		2. A typing speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi.
<b>Note :</b> The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission.		
Whether age and Educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment; Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of posts to be filled by various methods
9	10	11
Age - No Qualification-Yes to the extent mentioned in column 11.	Two years	(a) 90% by direct recruitment through Staff Selection Commission. (b) 5% by promotion from amongst the Group D employees who possess matriculation or equivalent qualifications and fulfil requirement as provided in column 12 on the basis of a departmental qualifying examination. The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years (50 years for Schedule Caste/Schedule Tribe). <b>Note :</b> (i) Unfilled vacancies pertaining to a particular year shall not be carried over. (ii) If more of such employees than the number of vacancies available under clause (b) qualify at the said examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination. (c) 5% of the vacancies shall be filled on Seniority-cum-fitness basis from Group D employees who possess matriculation or equivalent qualification and who fulfil the requirement as prescribed in column 12.
In case of recruitment by Promotion/deputation/absorption, Grades from which promotion/deputation/absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
12	13	14
<b>Promotion :</b> Group 'D' employees in the pay scale of Rs. 2750-4000 with three	<b>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :</b> 1. Senior most Director in the	Not-applicable

12	13
years regular service in the grade in the Unit failing which from Group 'D' employees in the pay scale of Rs. 2610-3540 with six years regular service in the grade in the Unit failing both from Group 'D' employees in the pay scale of Rs. 2550-3200 with eight years regular service in the Unit.	Unit—Chairman. 2. Group 'A' Officer from any office of the Directorate General of Employment and Training in the Unit dealing with establishment matters—Member 3. Group 'A' Officer of another Central Government Office—Member.

1	2	3	4	5
2. Upper Division Clerk/Cashier/ Assistant Hostel Superintendent (these posts are inter-changeable)	94* (2005) Unit-wise break-up *Subject to variation, depending on workload. Hyderabad -15 Ludhiana -13 Mumbai -12 Kanpur -11 Chennai -13 Kolkata -20 Bangalore -06 Jamshedpur -01 Dehradun -3 Total -94	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial.	Rs. 4000-100-6000	Non-selection

6	7	8
Not applicable	Not applicable	Not applicable
9	10	11
Not applicable	Not applicable	100% by promotion failing which by deputation/absorption.

12	13	14
<b>Promotion :</b> Lower Division Clerk/Typist with eight years regular service in the grade. <b>Deputation :</b> Offices of the Central Government (i) holding analogous post on regular basis; OR (ii) holding the post of Lower Division Clerk with eight years regular service in the grade.	<b>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :</b> 1. Senior-most Director in the Unit—Chairman. 2. Group 'A' Officer from any office of the Directorate General of Employment and Training in the Unit dealing with establishment matters—Member 3. Group 'A' Officer of another Central Government Office—Member.	Not applicable

3434 L&amp;E/05-4



12

**Note :**

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily exceed three years)'

1	2	3	4	5	6
3. Accountant/ Internal Auditor/Care Taker/Hostel Superintendent/ Purchase Assistant (these posts are inter-changeable)	28* (2005) Unit-wise break-up *Subject to variation depending on workload. Ludhiana -02 Hyderabad -06 Mumbai -02 Kanpur -03 Chennai -05 Kolkata -05 Bangalore -03 Dehradun -02 Total - 28	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial.	Rs. 4500-125-7000	Non-selection	Not applicable

7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	100% by promotion failing which by deputation/absorption.

12	13	14
<b>Promotion :</b> Upper Division Clerk/Cashier/Assistant Hostel Superintendent with five years regular service in any one or more of the above mentioned posts : <b>Deputation :</b> Officers of the Central Government : (i) holding analogous post on regular basis OR (ii) holding the post of Upper Division Clerk or equivalent with five years regular	<b>Group 'C' Departmental Promotion Committee  consisting of :</b> 1. Senior-most Director in the Unit —Chairman. 2. Group 'A' Officer from any office of the Directorate General of Employment and Training in the Unit dealing with establishment matters —Member 3. Group 'A' Officer of another Central Government Office —Member.	Not applicable

12

service in the grade and possessing experience in Accounts/Audit/Caretaker/ Hostel /Purchase, relevant to the post.

**Note :**

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.

(Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Govt. shall ordinarily not exceed three years).

1	2	3	4	5	6
4. Assistant	12* (2005) *Subject to variation dependend on workload <b>Unit-wise break-up</b> Hyderabad -02 Ludhiana -01 Mumbai -03 Kanpur -02 Chennai -02 Kolkata -02  <b>Total - 12</b>	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial	Rs. 5,000-150-8,000	Non-Selection	Not applicable

7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing by deputation

12	13	14
<b>Promotion :</b> Accountant/Internal Auditor/Care Taker/ Purchase Assistant/Hostel. Superintendent with three years regular service in any one or more of the above mentioned posts : <b>Deputation :</b> Officers of the Central Government : (i) holding analogous post on regular basiss :  OR (ii) With three years regular service in the post of Accountant or equivalent post in the scale of Rs. 4500-7000 and possessing experience in administration/ cash/accounts matters.	<b>Group 'C' Departmental Promotion Committee</b> <b>consisting of :</b> 1. Senior most Director in the Unit —Chairman. 2. Group 'A' Officer from any Office of the Directorate General of Employment and Training in the Unit dealing with Establishment matters —Member 3. Group 'A' Officer of another Central Government Office —Member.	Not applicable

**Note :**

The departmental officers in the feeder category who are in the in the direct line of promotion shall not be eligible for

12					
consideration for appointment by deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Govt. shall ordinarily not exceed three years).					
1	2	3	4	5	6
5. Junior Hindi Translator	08* (2005) *Subject to variation depending on workload <b>Unit-wise break-up</b> Hyderabad - 02 Ludhiana - 02 Mumbai - 01 Kanpur - 01 Kolkata - 02 <b>Total - 08</b>	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial	Rs. 5,000-150-8,000	Not applicable	Not applicable.
7	8	9	10	11	
21 to 30 years. (Relaxable for Govt. Servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall, in each case, be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshdweep). 2. In respect of posts, the appointments to which are made through the Employment exchanges, the crucial date for determining the age limit, in each case, shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	Master degree of a recognised University in Hindi/English with Hindi as a compulsory/ elective subject or as a medium of examination at degree level. OR Master degree of a recognised University in any other subject than Hindi/English, with Hindi and English as compulsory/ elective subjects or either of the two as medium of examination and the other as compulsory/ elective subject at degree level. OR Bachelors degree of a recognized University with Hindi and English as compulsory/ elective subjects or either of the two as medium of examination and the other as a compulsory/ elective subject, plus a recognized Diploma/ Certificate course in Translation from Hindi to English and vice-versa or two years experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in Central/State Government Offices, including Government of India Undertakings.	Not applicable	Two years	By direct recruitment	

12	13	14
Not applicable	<b>Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation consisting of :</b> 1. Senior-most Director in the Unit —Chairman 2. Group 'A' Officer from any office of the Directorate General of Employment and Training in the Unit dealing with Establishment matters. —Member 3. Group 'A' Officer of another Central Government office —Member.	Not applicable

1	2	3	4	5	6
6. Gestetner Operator	06* (2005) *Subject to variation depending on workload. <b>Unit-wise break-up</b> Hyderabad -02 Kolkata -01 Bangalore -01 Dehradun -01 Mumbai -01 <b>Total -06</b>	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Non-Selection	Not applicable

7	8	9	10	11
18 to 27 years. (Relaxable for Govt. Servants upto 35 years in accordance with the Instructions or orders issued by the Central Government). <b>Note :</b> The crucial date for determining the age limit shall, in each case, be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep). 2. In respect of posts, the appointment to which are made through the employment exchanges, the crucial date for determining the age limit, in each case, shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	1. Matriculation or its equivalent qualifications from a recognized Board or University. 2. Experience in operating Gestetner/Photocopy Machine.	Age : No Qualification : Yes	Two years	By promotion failing which by deputation.

3434 LBE/05-5

12	B	14			
<b>Promotion :</b> Group 'D' employees in the pay scale of Rs. 2750-4000 with three years regular Service in the grade in the Unit failing which from Group 'D' employees in the pay Scale of Rs. 2610-3540 with six year's regular service in the grade in the Unit failing both from Group 'D' employees in the payscale of Rs. 2550-3200 with eight years regular service in the grade in the unit. <b>Deputation :</b> Officers of the Central Government : (a) holding analogous posts on regular basis;  OR (b) (i) holding a post in the pay scale of Rs. 2750-4400/- on regular basis for three years or holding post in the pay scale of Rs. 2610-3540/- on regular basis for six years or holding a post in the pay scale of Rs. 2550-3200/- or equivalent on regular basis for eight years, and (ii) possessing educational qualifications as laid down for direct recruitment in column 8. (The period of deputation, including period of deputation in other ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organization/department shall ordinarily not exceed three years).	<b>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :</b> 1. Senior most Director in the Unit —Chairman. 2. Group 'A' Officer from any office of the Directorate General of Employment and Training in the Unit dealing with establishment matters —Member 3. Group 'A' Officer of another Central Government office —Member.	Not-applicable.			
1	2	3	4	5	6
7. Pharmacist/Compounder	12* (2005) *Subject to variation depending on workload <b>Unit-wise break-up</b> Hyderabad -02 Ludhiana -01 Mumbai -01 Kanpur -01 Chennai -03 Kolkata -03 Bangalore -01  Total - 12	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 4500-125-7000	Not applicable	Not applicable
7	8	9	10	11	
21 to 27 years (Relaxable for Govt. Servants upto the age of 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	1. Matriculation or equivalent; 2. B Pharma or B. Sc. with Chemistry as a subject or qualified and registered Compounder (Pharmacist). 3. Two years experience in	Not applicable	Two years	By direct recruitment.	

7	8	
<p><b>Note :</b> The crucial date for determining the age limit shall, in each case, be the closing dates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island, or Lakshdweep).</p> <p>2. In respect of posts, the appointments to which are made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit, in each case, shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.</p>	<p>Pharmacy in a Medical Store/ Pharmacy in a Dispensary/ Hospital.</p>	
12	13	14
Not applicable	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation consisting of :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Senior-most Director in the Unit —Chairman.</li> <li>2. Group 'A' Officer from any office of the Directorate General of Employment and Training in the Unit dealing with establishment Matters —Member</li> <li>3. Group 'A' Officer of another Central Government office. —Member.</li> </ol>	Not applicable.

[F. No. DGET-A-12018/2/99-T.A. II]  
M.S. AZAD, Under Secy.

OS  
HW

R R of Office Supdt.

**EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)**

Appearing on Page Nos. 2395—2400

Dated 1-11-2003

**श्रम मंत्रालय**

**MINISTRY OF LABOUR**

(रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2003

सा.का.नि. 386.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक् द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रशिक्षण निदेशालय (वर्ग-III पद) भर्ती नियम, 1974 को उन बातों के सिन्धाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, प्रशिक्षण महानिदेशालय महिला उपजीविका प्रशिक्षण को छोड़कर रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय में समूह 'ख' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रशिक्षण महानिदेशालय, महिला उपजीविका प्रशिक्षण को छोड़कर रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (समूह "ख" गैर तकनीकी पद) भर्ती नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की खातिर, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

- |  |  |
|--|--|
| 1. पद का नाम   | : कार्यालय अधीक्षक/छात्रावास वार्डन  |
| 2. पदों की संख्या                                      | : 28* (2003)<br>कार्यालय अधीक्षक-21<br>छात्रावास वार्डन-7 (दोनों पद परस्पर परिवर्तनीय हैं)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।   |
| 3. वर्गीकरण  | : साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित अनुसचिवीय  |
| 4. वेतनमान   | : 5500-175-2000 रु.  |
| 5. चयन अथवा अचयन पद                                    | : चयन  |
| 6. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा | : तीस वर्ष से अधिक नहीं<br>केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। |

**टिप्पण :**—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

: नहीं

7. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

: आवश्यक :—

(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य।

(2) प्रशासन, रोकड़ और लेखा कार्य में दो वर्ष का अनुभव।

**टिप्पण 1 :** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

**टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

: नहीं

9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

10. परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।

: दो वर्ष

11. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

: 20 प्रतिशत प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

80 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

12. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

**प्रोन्नति :** 5000-8000 रु. के वेतनमान में ऐसा सहायक जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।

**टिप्पण :**—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

**प्रतिनियुक्ति**—केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी :—

(i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 5000-8000 रुपए या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष सेवा की है; और जिनके पास प्रशासन रोकड़ और लेखा मामलों में दो वर्ष का अनुभव है। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिस के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार



के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिस के अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना : समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के लिए) :

- |                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| 1. महानिदेशक,                   | —अध्यक्ष |
| रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय |          |
| 2. निदेशक, शिक्षता प्रशिक्षण    | —सदस्य   |
| 3. निदेशक/उप सचिव (प्रशासन)     |          |
| श्रम मंत्रालय                   | —सदस्य   |
| 4. निदेशक/उप सचिव, (प्रशासन)    |          |
| रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय | —सदस्य   |

14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा : प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[सं. ए-12018/4/2001-टी.ए. II(भाग)]

के. के. मित्तल, निदेशक (प्रशासन)

(Directorate General of Employment and Training)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2003

**G.S.R. 386.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Directorate of Training (Class III Posts) Recruitment Rules, 1974, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group B posts in the Directorate of Training (except Women Occupation Training), Directorate General of Employment and Training, namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Directorate of Training (except Women Occupation Training), Directorate General of Employment and Training (Group B, Non-Technical Posts) Recruitment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto the said post shall be specified in columns 5 to 14 of the said Schedule aforesaid.

**4. Disqualification.**—No person,—

- who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the Personal Law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions

required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

### SCHEDULE

- |  |  |
|--|--|
| 1. Name of post  | : Office Superintendent/Hostel Warden  |
| 2. Number of posts   | : 28* (2003)<br>Officer Superintendent : 21<br>Hostel Warden : 7 (both posts are interchangeable)<br>*Subject to variation dependent on workload.  |
| 3. Classification  | : General Central Service, Group 'B' non-gazetted, ministerial   |
| 4. Scale of pay  | : Rs. 5500-175-9000  |
| 5. Whether Selection or non-selection post   | : Selection  |
| 6. Age limit for direct recruits   | : Not exceeding 30 years<br>Note 1 : Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.<br>Note 2 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipts of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Nagaland, Manipur, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahual and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).  |
| 7. Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972  | : No   |
| 8. Educational and other qualifications required for direct recruits   | : Essential :<br>(i) Degree of a recognized University or equivalent,<br>(ii) Two years experience in administration, cash and accounts work.<br>Note 1 : Qualification(s) are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates otherwise well qualified.<br>Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these Communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. |
| 9. Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees  | : No   |
| 10. Period of probation, if any  | : Two years  |
| 11. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods | : 20 per cent.<br>Promotion failing which by deputation.<br>80 per cent deputation failing which by direct recruitment.  |

CP No = 4200/-

12. In case of recruitment by promotion/ which promotion/deputation/absorption to be made

**Promotion :** Assistant in the pay scale of Rs. 5000-8000 with three deputation/absorption grades from years regular service in the grade.

**Note :** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

**Deputation :**

Officers of the Central or State Governments or Union territories :

- (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre department; or
- (ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay scale of Rs. 5000-8000 or equivalent in the parent cadre/department; and possessing two years experience in administration, cash and accounts matters.

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

13. If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition

**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation):**

- 1. Director General of Employment and Training — Chairman
- 2. Director of Apprenticeship Training — Member
- 3. Director/Deputy Secretary (Administration), Ministry of Labour — Member
- 4. Director/Deputy Secretary (Administration), Directorate General of Employment and Training — Member

14. Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment

Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation.

[F. No. A-12018/4/2001-TA-II(Pt.)]  
K.K. MITTAL, Director (Administration)